

प्रस्ताव संख्या-5 जानकीपुरम सेक्टर-जे, विस्तार में प्रस्तावित सूपरी अपार्टमेंट के मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति का निर्णय:

प्रस्ताव में वांछित ओपेन स्पेस/पार्क भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0 भवन की ऊँचाई वाहनों की पार्किंग आदि भवन उपविधि 2008 के अनुरूप होने के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र में तकनीकी रूप से कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। शासकीय अभिकरण के कार्य पर अनापत्ति प्रदान करने की संस्तुति निम्न प्रतिबंधों के साथ की जाती है:-

1. फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किया जाए।
3. भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित किया जाए।
4. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम व वृक्षारोपण का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए।
5. एन.बी.सी. के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाए।

प्रस्ताव संख्या-6 कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में निर्मित ब्रह्मकुँज काम्पलेक्स के निर्माण में परिवर्तन/ परिवर्धन सम्बन्धी मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति का निर्णय:

निर्मित भवन के मानचित्र को पूर्व में तकनीकी समिति द्वारा अनापत्ति प्रदान की है। बेसमेन्ट में प्रस्तावित पार्किंग व्यवस्था भवन उपविधि 2008 के अनुरूप होने के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र में तकनीकी रूप से कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। पार्किंग की कमी को सेक्टर-बी के ले-आउट में उपलब्ध रिक्त स्थान पर नियोजन किया गया है। शासकीय अभिकरण के कार्य पर अनापत्ति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है:-

प्रस्ताव संख्या-7 हजरतगंज में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग के मानचित्र के सम्बन्ध में।

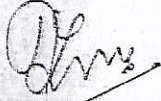
समिति का निर्णय:

निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग का भवन मानचित्र भू-आच्छादन, सेटबैक, एफ.ए. आर. भवन उपविधि-2008 के अनुरूप होने के दृष्टिगत मानचित्र में तकनीकी रूप से कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। अनुमन्य 3.0 एफ.ए.आर. के अतिरिक्त उपरी दो तलों पर प्रस्तावित निर्माण(फ्यूचर एक्सटेंशन) अनुमन्य नहीं है। शासकीय अभिकरण के कार्य पर अनापत्ति प्रदान करने की संस्तुति निम्न प्रतिबंधों के साथ की जाती है:-

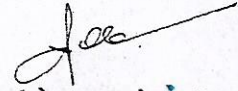
1. फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किया जाए।
3. भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित किया जाए।

9. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत ही भवन के उपयोग की अनुमति दी जायेगी।
10. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
11. निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किया जाएगा। स्वीकृत से विपरीत निर्माण किये जाने पर सम्बन्धित जोनल अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
12. मानचित्र निर्गत से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करनी होगी।

अन्त में सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद के सहित बैठक समाप्त की गयी।

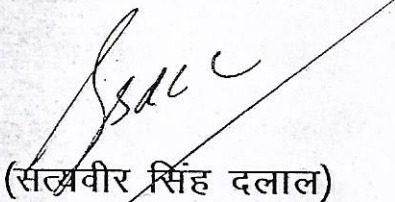


(राजेन्द्र तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

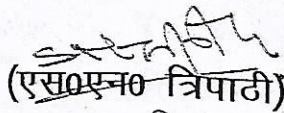


(जे०एन०रेड्डी)

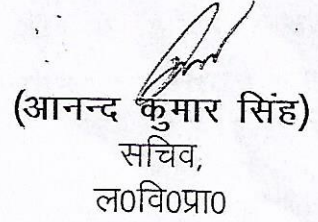
नगर
नियोजक/संयोजक
ल०वि०प्रा०, लखनऊ



(सत्यवीर सिंह दलाल)
सहयुक्त नियोजक
प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं
ग्राम नियोजक, उ०प्रा०
सदस्य



(एस०एन० त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता,
ल०वि०प्रा०



(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव,
ल०वि०प्रा०

अनुमोदित



(राजीव अग्रवाल)
उपाध्यक्ष,
ल०वि०प्रा०, लखनऊ